अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक–1513, 1514 एवं 1515 दिनांक 05.11.2011 द्वारा दिनांक 6.11.2011 तथा पत्रांक–1573,1574 एवं 1575 दिनांक 16.11.2011 द्वारा दिनांक 17.11.2011 को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से बायोडाइवर्सिटी हाटस्पाट हाथीनाला में वाचटावर, वाटरहोल, चेक डैम का निर्माण एवं पुराने चेक डैम का सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति के लिए दूसरी बार दिनांक 22.11.2011 को 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की गयी थी किन्तु कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः दिनांक 02.12.2011 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निविदायें आमंत्रित किया जाता है तथा उसी दिन सांय 4.00 बजे खोली जायेगी । निविदा प्रपत्र निविदा की शर्तें कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट से रू0 200.00 मात्र देकर कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दिनांक 26.11.2011 से प्राप्त किया जा सकता है ।

निविदा के सम्बन्ध में शर्तेः–

1. निविदा अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से होनी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर निविदा वास्ते सामग्री आपूर्ति अवश्य लिखा होना चाहिए तथा इस कार्यालय में दिनांक 02.12.2011 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए ।
2. सम्बन्धित निविदादाता को निविदा अनुमोदित होने पर स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा और इसके साथ शासन/उच्चाधिकारियों द्वारा इंगित धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी । निविदा के साथ दी गई अर्नेस्टमनी प्रतिभूति के साथ समायोजित की जायेगी ।
3. निर्माण सामग्री की मात्रा घट–बढ़ सकती है ।
4. रेनुकूट वन प्रभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी एवं दुद्धी से आपूर्ति सन्तोष जनक प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा ।
5. निविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद का निस्तारण जनपद, सोनभद्र के सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।
6. निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने के उपरान्त रेनुकूट वन प्रभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी से निर्माण सामग्री की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर प्रभागीय कार्यालय रेनुकूट वन प्रभाग में अनिवार्य रूप से दिया जायेगा ।
7. निविदादाता को आपूर्ति से सम्बन्धित समस्त करों एवं शुल्कों की देयता नियमानुसार पूर्ण करनी होगी । करों एवं शुल्कों की देयता की पूर्ति यदि नियमानुसार निविदादाता द्वारा नहीं की जाती है तो करों एवं शुल्कों का भुगतान उनके देय भुगतान से काटकर नियमानुसार पूर्ति की जायेगी।
8. निर्माण सामग्री के निर्धारित मात्रा का ढुलान दुद्धी रेंज के हाथीनाला परिसर/वन ब्लाक तक करना होगा तथा अनलोडिंग एवं चट्टा बंदी निविदादाता को पिपरी एवं दुद्धी रेंज के अधिकारी/कर्मचारी के देखरेख में की जायेगी ।
9. निर्माण सामग्री की आपूर्ति का आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति लगातार पूर्ण करनी होगी ।
10. निर्माण सामग्री की लोडिंग तथा अनलोडिंग एवं चट्टा बंदी सावधानी पूर्वक करना होगा। सामग्री की क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में निविदादाता का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।
11. निविदा के साथ रू0 100000.00 (रू0 एक लाख मात्र) का अर्नेस्टमनी /काल डिपाजिट/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी जो रेनुकूट/राबर्ट्सगंज में स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर पर अधोहस्ताक्षरी के पदनाम पर बंधक हो या देय हो संलग्न करना अनिवार्य है । बिना अर्नेस्टमनी के निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।

P.DMRE 30/11

MIS office for upload 30/11/11

12. संलग्न प्रपत्र (संलग्नक–1) में नाम, स्थायी पता , पत्राचार का पता तथा अन्य सूचनाऐं भरकर प्रस्तुत करना होगा ।

13. निविदादाता को संलग्नकः–2 में दिये गये निर्माण सामग्री की दर /मात्रा इकाई भरकर स्वयं का हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

14. निविदादाता के पास निर्माण सामग्री आपूर्ति करने की समस्त नियम संगत एवं वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

15. निविदा के साथ निविदादाता द्वारा उसके पक्ष में आयकर विभाग, व्यापार कर विभाग सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

16. निविदादाता के यदि कोई भागीदार हो तो भागीदारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

17 व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

18 आयकर का अद्यावधिक रिटर्न, पैन कार्ड तथा आयकर के क्लीयरेन्स के प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

19 निविदा के साथ निविदादाता को जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र एवं जिला मस्ट्रिेट द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित कार्य करने का आर्थिक क्षमता एवं पूर्व एवं प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना होगा । उक्त प्रमाण–पत्र सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी द्वारा अपने स्वंय के हस्ताक्षर से जारी किये जाने पर ही मान्य होंगें ।

20 निविदादाता को निविदा दे दिये जाने के बाद भी यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध एवं निविदा निरस्त कर दिया जायेगा ।

21 अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि वे निविदा को किसी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र) ।
पत्रांक 1794/रेनुकूट/14 दिनांक, रेनुकूट 25-11-,2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0,लखनऊ ।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जे0आई0सी0ए0 परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, उ0प्र0, मिर्जापुर ।
5. मुख्य वन संरक्षक, प्रसार एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिलाधिकारी, सोनभद्र ।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी , मिर्जापुर क्षेत्र ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
9. जिला सूचना अधिकारी ,सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा का वृहद प्रसार अपने स्तर से कराने की कृपा करें ।
10. उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी/म्योरपुर , रेनुकूट वन प्रभाग ।
11. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी , रेनुकूट वन प्रभाग ।
12. समस्त ट्रांसपोर्टर जनपद–सोनभद्र ।

(आशीष तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट